

ग्रामीण सेवा शिविर



'ग्रामीण सेवा शिविर -2025'

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत
(पीठासीन अधिकारी ग्रामीण सेवा शिविर/कैम्प कोर्ट - 2025)

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 3022 गू अ निरीक्षक किवरली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान गू राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम 3022 गू अ निरीक्षक वृत्त किवरली तहसील देलदर जिला सिरौही की जमाबन्दी सम्वत 2024-22 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जागी है)
1.	<u>3022</u>	<u>202</u>	<u>आवादात पुर कालात 6000-2000</u>	<u>आवादात पुर कालात 6000-2000</u>

(डॉ. अंशु प्रिया)

आई.एस.

पीठासीन अधिकारी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

दिनांक-18.09.2025

कमाक / ग्रा.से.शि. / कोर्ट / 2025 / 174

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत कराये।
2. प्रार्थी श्री आवादात पुर कालात 6000-2000 को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूपर्वत

